सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 22, बुधवार, *शाके* 1945-सितम्बर 13, 2023
Bhadra 22, Wednesday , Saka 1945- September 13, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 05, 2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार एवम राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प०1 150 राज0 /6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार करौली जिले की तहसील हिण्डौन (ग्राम-हिण्डौनABCD) एल.सी.नंबर 199 पर रेल्वे आवॅर ब्रिज निर्माण में निम्नानुसार प्रभावित गाँवो में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित्त है।

क्र. सं.	खसरा सं.	कुल रकबा (है0)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)
1	2985	0.0200	0.0074
2	2986	0.1200	0.0151
3	3019	0.1600	0.0482
4	3020	1.0500	0.0556
5	3035	0.0400	0.0363
6	3036	0.6200	0.0201
7	3037	0.3600	0.0387
8	3042	0.6300	0.0670
9	3043	1.6000	0.7675
10	3214	1.0000	0.0217
11	3215	0.1600	0.1335
12	3216	1.9000	0.0874
13	3217	0.6000	0.0618
14	3225	0.5600	0.0736
15	3226	0.4700	0.1063
16	3233	1.4100	0.0957
17	3481	6.0000	0.1570
18	3482	0.5600	0.0089

क्र. सं.	खसरा सं.	कुल रकबा (है0)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)
24	3522	0.2200	0.0250
25	3523	0.5300	0.0552
26	3524/1	0.8100	0.7531
27	3524/2	0.0900	0.3412
28	6078	0.2600	0.0401
29	6079	0.5800	0.0890
30	3525	0.4500	0.0381
31	3528	0.1200	0.0115
32	3529	0.2800	0.0322
33	3530/1	0.4500	0.0525
34	3537/1	0.0800	0.0030
35	3537/2	0.2100	0.0489
36	3538/1	0.0800	0.0028
37	3538/2	0.0100	0.0013
38	3539/10402	0.1450	0.0263
39	3539/10403	0.1450	0.0218
40	3540	0.5600	0.0922
41	5949	0.4900	0.0525

19	3516/1	0.1900	0.0186
20	3517/1	0.1600	0.0179
21	3517/2	0.1500	0.0064
22	3518	0.7000	0.0409
23	3519	0.0400	0.0025
42	5950	0.3700	0.0576
43	6073	0.3400	0.0239
44	5951	0.3200	0.0064
45	3516/2	0.1200	0.0028
योग	**किता ४५**		**3.6656**

- अधिसुचित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या ३०/२०१३) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
- सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड हिण्डौन व उनके स्टाफ/कर्मचारी को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने व परियोजना के किर्यान्वन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो कने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
- परियोजना हेतू नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतू सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हिण्डौन द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जायेगा।
- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवो में सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।
  1. संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात
     निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
  2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित गाँवो में पर्याप्त
     प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप् से रिकार्ड किया जावेगा।
  3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/ आपतियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण
     रिपोर्ट एवम सामाजिक समाघात प्रबन्ध रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

  4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत
और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघान निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण सम्पूर्ण
कराया जाना अनिवार्य है।

सम्पर्क सूत्र
भूमि अवाप्ति अधिकारी
एवम उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली
Email Id:-sdohindaun@gmail.com

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।